

FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)

प्रार्थीगण:-

बनाम

अप्रार्थीगण:-



शम्भुसिंह के का.मु. वगैराह

नरपतसिंह के का. मु. वगैराह

किरम मुकदमा आदेश 9 नियम 09 सपठित 151 सीपीसी

मुकदमा नम्बर 10 A / 2026

जीसीएमएस सं.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
21/2/26	प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को नोटिस जरिए स्पीड पोस्ट जारी होकर पत्रावली दिनांक 27/2/26 को पेश हो। 	
27/2/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण को भेजे गए सम्मन की डक रसीम मम ड्रैकिंग रिपोर्ट पेश की जिसमें शामिल पत्रावली किमा गया। अप्रार्थीगण को भेजे गए सम्मन की ड्रैकिंग रिपोर्ट से आधार द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा लेने से इंकार किमा गया। पत्रावली उपस्थित आदेश वालते दिनांक 17/3/26 को पेश हो। B.O.	
17/3/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण को भेजे गए सम्मन की डक रसीम मम ड्रैकिंग रिपोर्ट के आधार पर विधिवत तामिली पूर्ण माना जाता है। अप्रार्थीगण की ओर से आज दिनांक तक कोई उपस्थित नहीं है। अतः इतका जवाब भी बंद किमा जाता है। प्रार्थीगण अधिवक्ता। 	

की प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई।
प्राथमिक आधेवक्ता न प्रकरण सं. 18/2021
न्यायालय आदेशिका दिनांक 22/8/25 को अग्रम
टाजरी अग्रम पैरवी में हुई खारिज पत्रावली
को पुनः नम्बर पर लेने एवं आदेशिका दिनांक
22/8/25 को निरस्त कर पुनः चालू की जाए
ताकि प्राथमिक न्याय से वंचित न रहे। मूल
पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्राथमिक
द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अतः 09 R9 RW 514 PC
स्वीकार किया जाता है। मूल पत्रावली प्रकरण सं.
18/2021 को ~~रिस्टोप~~ करने के आदेश दिए जाते
हैं। पत्रावली फसल शुमार होकर मारवल यफ्तर
हो।


उपसचिव अधिकारी
जोधपुर (जफर)